भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 299**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**आंगनवाड़ियों में खाद्य सामग्रियों को गायब कर दिए जाने और सामग्री के घटिया किस्म की होने संबंधी शिकायतें**

**\*299. श्री हरिवंशः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने आंगनवाड़ियों में घर ले जाने के लिए दिए जाने वाले राशन के स्थान पर लाभार्थियों को धनराशि न दिए जाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत खाद्य सामग्रियों को गायब कर दिए जाने, घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों तथा इसमें निहित स्वार्थों के अंतर्ग्रस्‍त होने की शिकायतों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मंत्री

(क) से (ख) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्‍तुत है ।

\*\*\*\*\*

**'आंगनवाड़ियों में खाद्य सामग्रियों को गायब कर दिए जाने और सामग्री के घटिया किस्म की होने संबंधी शिकायतें' विषय पर श्री हरिवंश द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 299 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) : जी, हां । मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि आंगनवाड़ियों में घर ले जाने के लिए दिए जाने वाले राशन के बदले लाभार्थियों को राशि न दी जाए ।

(ख) : पूरक पोषण छत्रक आईसीडीएस स्‍कीम की आंगनवाड़ी सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली 6 सेवाओं में से एक है । राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र पूरक पोषण के प्रबंधन, नियंत्रण और वितरण सहित स्‍कीम के क्रियान्‍वयन के लिए उत्‍तरदायी हैं । भारत सरकार इस बारे में दिशानिर्देश जारी करती है; अपने हिस्‍से की धनराशि निर्मुक्‍त करती है और स्‍कीम को मॉनीटर करती है । जब कभी भी पूरक पोषण की चोरी, पूरक आहार के घटिया स्‍तर अथवा इससे जुड़े अन्‍य किसी मुद्दे पर कोई शिकायत प्राप्‍त होती है तो उसे सुधारने/उस पर कार्रवाई करने के लिए शिकायत को राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को भेज दिया जाता है । गंभीर आरोपों वाली शिकायतों पर मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट मंगाई जाती है ।

सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों की स्‍थिति की मॉनीटरिंग के लिए विभिन्‍न स्‍तरों (राष्‍ट्रीय/ राज्‍य/ जिला/ब्‍लॉक तथा आंगनवाड़ी) पर 5-स्‍तरीय मॉनीटरिंग और समीक्षा तंत्र शुरू किया है । सरकार ने आंगनवाड़ी सेवा स्‍कीम के क्रियान्‍वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्‍न स्‍तरों पर मॉनीटरिंग और समीक्षा समितियां गठिन किए जाने के संबंध में 31.03.2011 को दिशानिर्देश जारी किए । विभिन्‍न स्‍तरों पर इन समितियों के गठन और उनकी प्रमुख भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है और इस स्‍कीम को सुदृढ़ तथा अधिक भागीदारीपूर्ण बनाने की दृष्‍टि से राज्‍य, जिला और ब्‍लॉक स्‍तर पर विभिन्‍न मॉनीटरिंग समितियों में पंचायती राज संस्‍थाओं और संसद सदस्‍यों तथा विधान सभा सदस्‍यों को प्रतिनिधित्‍व दिया गया है ।

अंतर्निहित 5-स्‍तरीय मॉनीटरिंग प्रणाली के अलावा, नव-स्‍थापित पोषण मिशन में सामान्‍य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (सीएएस) के माध्‍यम से आईसीटी-आधारित वास्‍तविक समय मॉनीटरिंग प्रणाली स्‍थापित है । आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्‍ध आंकड़ों के अंकीकरण और कम्‍प्‍यूटरीकरण के लिए महिला पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को टेबलेट और स्‍मार्ट फोन प्रदान किए गए हैं ।

\*\*\*\*\*